राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान रायपुर
NATIONAL INSTITUTE OF TECHNOLOGY RAIPUR
(An Institute of National Importance)
G.E. Road, Raipur – 492010 (CG)
Phone: (0771) 2252700, Fax : (0771) 2253104, Email: registrar@nitrr.ac.in ,Website: www.nitrr.ac.in

क्र.481 /राप्रौसंरारा / छा.वि. / 2020–21 रायपुर, दिनांक ..5../....11../2020

// सूचना //

छ0 ग0 राज्य अनुसूचित जनजाति, अनुसचित जाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग (ST,SC & OBC) पो. मै. छात्रवृत्ति वर्ष 2020–21 हेतु

बी0 टेक0 / बी0 आर्क0 / एम0 टेक0 / एम0 सी0 ए0 के सभी सेमेस्टर में नियमित अध्ययनरत छ0 ग0 राज्य से संबंधित छात्र / छात्राओं को सूचित किया जाता है कि जो अनुसूचित जनजाति, अनुसचित जाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग छात्रवृत्ति (ST,SC & OBC) की श्रेणी में आते है वे ऑनलाइन वेबसाइटः **http://mpsc.mp.nic.in/CGPMS** से नवीन / नवीनीकरण **(NEW/RENEWAL)** छात्रवृत्ति आवेदन पत्र दिनांक **30/11/2020** तक जमा कर सकते है व छात्रवृत्ति आवेदन की कापी व आवश्यक दस्तावेज छात्र विभाग में **scholarship@nitrr.ac.in** ई–मेल करें, उक्त तिथि तक फार्म नही भरने एवं छात्रवृत्ति नही मिलने पर छात्र / छात्राओं की स्वंय की जिम्मेदारी होगी ।

आवश्यक प्रमाण पत्र छात्र विभाग में जमा करने हेतु :–

1. ऑनलाइन छात्रवृत्ति आवेदन की प्रिंट कापी ।
2. बैंक पास बुक (Bank Pass Book) की छायाप्रति ।
3. आधार कार्ड (Aadhar Card) की छायाप्रति ।
4. पारिवारिक आय प्रमाण (Family Income Certificate)पत्र कार्यालय तहसीलदार / नायब / अतिरिक्त तहसीलदार द्वारा प्रमाणित होना आवश्यक है। अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) का अधिकतम आय 1,00000 /– एवं अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति (SC/ST) का अधिकतम आय 2,50,000 /– तक मान्य होगा ।
5. जाति प्रमाण पत्र **Caste Certificate** (छ.ग. द्वारा जारी स्थायी प्रमाण पत्र) छायाप्रति ।
6. निवास (Residence Certificate) प्रमाण पत्र की छायाप्रति ।
7. प्रथम वर्ष New Student के छात्र **10th** एवं **12th** की अंकसूची छायाप्रति ।
8. नवीनीकरण Renewal हेतु छात्र पिछला परीक्षा वर्ष (दोनों सेमस्टर) अंकसूची की छायाप्रति संलग्न करें ।
9. संस्थान में प्रवेश की राशि की (Fees Receipt- Admission fees & Hostel fees) छायाप्रति।

नोटः–

- ➡ आय प्रमाण पत्र दिनांक 01 / 04 / 2020 से जारी कार्यालय तहसीलदार / नायब / अतिरिक्त तहसीलदार द्वारा प्रमाणित आय प्रमाण पत्र ही स्वीकार किये जायेंगे ।
- ➡ ऑनलाइन आवेदन में छात्र का आधार नं. एवं छात्र का बैंक खाता कमांक होना आवश्यक है । वेबसाइड में अपलोड कापी साफ एवं स्पष्ट होना आवश्यक है ।
- ➡ सभी आवश्यक प्रमाण पत्र को एकल (Singal PDF) बनाकर **scholarship@nitrr.ac.in** में साफ एवं स्पष्ट कापी ई–मेल करें । अन्य माध्यम से छात्रवृत्ति आवेदन स्वीकार नही होगी ।

04.11.2020

अधिष्ठाता (छात्र कल्याण)
राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान
रायपुर, (छ0ग0)

NATIONAL INSTITUTE OF TECHNOLOGY RAIPUR-492010 (C.G.)

कार्यालय कलेक्टर (आदिवासी विकास) रायपुर (छ.ग.)
Phone No. And Fax No.-0771-2426831 E-Mail- actd.raipur@nic.in

क./न.क–64/आदि.वि./छात्रवृत्ति/2020–21/ 1451 रायपुर दिनांक 13/10/2020

प्रति,

सर्व अधिष्ठाता/विभागाध्यक्ष/प्राचार्य

.... जिला–रायपुर (छ.ग.)

विषय :– अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं पिछड़ा वर्ग पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति 2020–21 की ऑनलाईन आवेदन एवं स्वीकृति के संबध में।

संदर्भ :– आयुक्त आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास, इन्द्रावती भवन, अटल नगर का पत्र कमांक/आ.ला.पो.मै.छा./118/2020–21/4558 रायपुर दिनांक 07.10.2020

––00––

उपरोक्त विषयांतर्गत लेख है कि रायपुर जिले में संचालित ऑनलाईन राज्य पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति हेतु शासकीय/अशासकीय महाविद्यालय, विश्वविद्यालय, इंजिनियरिंग कॉलेज, मेडिकल कॉलेज आई टी.आई, पॉलीटेक्निक आदि के संस्था प्रमुख, छात्रवृत्ति प्रभारी एवं उनमे अध्ययनरत अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं पिछड़ा वर्ग के विद्यार्थियों, जो विभाग द्वारा संचालित पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति की पात्रता रखते है को सूचित किया जाता है कि **शिक्षा सत्र 2020–21 हेतु पोस्ट मैट्रिक** छात्रवृत्ति (कक्षा 12वी से उच्चतर) के **आवेदन, स्वीकृति** एवं **वितरण** की कार्यावाही http://mpsc.mp.nic.in/CGPMS **वेबसाइट पर ऑनलाईन** की जा रही है।

जिसके अंतर्गत विद्यार्थियों के पजीयन एवं संस्थाओं के प्रस्ताव/स्वीकृति लॉक करने हेतु विभाग द्वारा वर्ष 2020–21 में निम्नानुसार तिथि निर्धारित की गई है:–

क	प्रकिया	अंतिम तिथि
1	विद्यार्थी द्वारा ऑनलाईन आवेदन हेतु (नवीन एवं नवीनीकरण)	दिनांक 15.10.2020 से 30.11.2020
2	Draft Proposal Lock करने हेतु	दिनांक 15.10.2020 से 10.12.2020
3	Sanction Order Lock करने हेतु	दिनांक 15.10.2020 से 20.12.2020
4	संस्थाओं द्वारा KYC जमा करने हेतु	दिनांक 10.01.2021

संस्थाओं द्वारा KYC स्वीकृति आदेश लॉक करने के पश्चात जल्द से जल्द जिला कार्यालय में जमा किया जाना है। निर्धारित तिथियों के पश्चात शिक्षा सत्र 2020–21 की पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति हेतु आवेदन स्वीकृत नही किये जावेंगे एवं Draft Proposal Lock अथवा Sanction Order Lock करने का अवसर भी प्रदान नही किया जायेगा। उक्त तिथि तक कार्यवाही पूर्ण नही करने पर यदि संबंधित विद्यार्थी छात्रवृत्ति से वंचित रह जाते हैं तो इसके लिए संस्था प्रमुख स्वतः जिम्मेदार होंगे।

अपर कलेक्टर
रायपुर

पृ.क./न.क–64/आदि.वि./छात्रवृत्ति/2020–21/ 1452 रायपुर दिनांक 13/10/2020

प्रतिलिपिः–

1. **आयुक्त,** आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास, इन्द्रावती भवन अटल नगर नवा रायपुर की ओर सादर सूचनार्थ।
2. **स्टोनो–टू– कलेक्टर,** जिला रायपुर की ओर सादर सूचनार्थ।

अपर कलेक्टर
रायपुर

E:\ACTD\All Letter\Office latter1